न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–52/अ–59/2016–17/ 9312 B बैतूल दिनांक 24/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, हल्का पटवारी मौजा खेड़ली बाजार पटवारी हल्का नंबर 61 रा0 नि0 मं0 खेड़लीबाजार तहसील आमला द्वारा नायब तहसीलदार आमला के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा खेड़लीबाजार स्थित खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर मद रास्ता में से लगभग 0.045 हेक्टेयर भूमि पर हरिराम पिता बातू, जगदीश पिता बातू, कालूराम पिता नत्थू, कलिराम पिता नत्थू एवं सुन्दर पिता नत्थू द्वारा लगभग 30–35 वर्षो से मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा घोषित आबादी खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर में से इन व्यक्तियो को वर्ष 1995 में आवासीय पट्टे प्रदान किया गया है, किन्तु उक्त व्यक्ति रास्ता मद के खसरा नंबर 306 में मकान बनाकर निवासरत् है, जिसके फलस्वरूप खसरा नंबर 307/2 में से रास्ता बन गया है। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियो को सही भूमि का आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए रास्ता मद की भूमि खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर में से 0.047 हेक्टेयर को आबादी एवं आबादी मद की भूमि खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर में से 0.047 हेक्टेयर को रास्ता घोषित किया जानो की आवश्यकता है।

हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ ग्राम पंचायत खेड़लीबाजार के प्रस्ताव की प्रति भी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 1–3–2017 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर, ग्राम खेड़लीबाजार स्थित खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर रास्ता मद की भूमि में मकान बनाकर निवासरत् व्यक्तियो की भूमि को आबादी घोषित करने पात्रतानुसार पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2– नायब तहसीलदार आमला द्वारा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत् प्रकरण संस्थित किया गया तथा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर मौजा खेड़लीबाजार तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.047 हेक्टेयर भूमि को आबादी मद में परिवर्तित किए जाने एवं खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद आबादी में से 0.047 हेक्टेयर को रास्ता मद मे परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार आमला के मत से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की गई भूमि को, उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– प्रकरण का समग्र अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि, मौजा खेड़लीबाजार तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि आबादी मद की भूमि है, तथा इससे लगा हुआ खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर रास्ता मद की भूमि है। आबादी मद के खसरा नंबर 307/2 में से वर्ष 1995 में, जिन व्यक्तियो को आवासीय पट्टे प्रदान किए गए है वे व्यक्ति कई वर्षो से खसरा नंबर 307 के क्षेत्र में

न्यायालय अपर कलेक्टर * बैतूल (म.प्र.) *

निवासरत न होकर खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 मद रास्ता के 0.047 हेक्टेयर क्षेत्र में निवासरत है, इन व्यक्तियो के मकान रास्ता मद में होने के कारण, आमजनता द्वारा रास्ता के प्रयोजन हेतु खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद आबादी में से 0.047 हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार आमला द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, मौजा खेड़लीबाजार तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.047 हेक्टेयर भूमि को आबादी मद में परिवर्तित किए जाने एवं खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद आबादी में से 0.047 हेक्टेयर को रास्ता मद मे परिवर्तित किए जाने में कोई वैद्यानिक बाधा परिलक्षित नहीं होती है।

5– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा खेड़लीबाजार तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.047 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया जाता है, तथा खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद आबादी में से 0.047 हेक्टेयर को रास्ता घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार मद परिवर्तन किए जाने वाले क्षेत्र को नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है।

खसरा नंबर 306 रकबा 0.166 हेक्टेयर में से 0.047 हेक्टेयर क्षेत्र पर निवासरत व्यक्ति हरिराम पिता बातू, जगदीश पिता बातू, कालूराम पिता नत्थू, कलिराम पिता नत्थू एवं सुन्दर पिता नत्थू को वर्ष 1995 में आबादी मद की भूमि खसरा नंबर 307/2 में दिए गए आवासीय पट्टे विधिवत् निरस्त किए जाए ताकि एक ही व्यक्ति/परिवार को दो पट्टे स्वीकृत होने की स्थिति निर्मित न होने पाए।

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:– 52/अ–59/2016–17/ 9312 B बैतूल दिनांक 24/08/2017

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई।

2– नायब तहसीलदार आमला ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत खेड़लीबाजार जनपद पंचायत आमला जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

29/08/2017